प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक: 09.11.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), श्रीनगर आंचलिक कार्यालय ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के दुरुपयोग से संबंधित एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 10.63 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। अनंतिम कुर्की आदेश कश्मीर के श्रीनगर एवं बांदीपोरा जिलों में स्थित भूमि एवं भवनों से बनी कुल 11 संपत्तियों के संबंध में जारी किया गया है। ये संपत्तियां ऐसे आपूर्तिकर्ताओं-सह-दलालों तथा जम्मू-कश्मीर बैंक के एक अधिकारी के कब्जे में पाई गई हैं, जो पीएमईजीपी योजना के दुरुपयोग में संलिप्त थे।

ईडी ने श्रीनगर स्थित केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) द्वारा दर्ज दो प्राथमिकियों के आधार पर जांच शुरू की। इन प्राथमिकियों में आरोप लगाया गया है कि पीएमईजीपी योजना के ऋणों की राशि का ऋणकर्ताओं, जम्मू-कश्मीर बैंक की सुम्बल शाखा एवं गमुद गडखुद शाखा के बैंक अधिकारियों तथा अन्य अज्ञात व्यक्तियों के साथ आपराधिक षड्यंत्र करके गबन किया गया। आरोप है कि इन लोगों ने बैंक के साथ धोखाधड़ी कर बैंक निधियों का गबन किया, जिससे बैंक को सदोष हानि हुई तथा उन्हें तदनुरूप सदोष लाभ हुआ। जांच में सामने आया कि फर्जी पीएमईजीपी ऋणकर्ताओं को प्रस्तुत करके, अस्तित्वहीन फर्मों/कंपनियों के फर्जी बीजकों का उपयोग करते हुए तथा जम्मू-कश्मीर बैंक की सुम्बल एवं गमुद गडखुद शाखाओं के अधिकारियों के साथ निजी व्यक्तियों-सह-दलालों द्वारा आपराधिक षड्यंत्र करके पीएमईजीपी ऋण प्राप्त किए गए। सीबीआई की एसीबी ने जून 2026 में इस मामले में एक नई प्राथमिकी भी दर्ज की है।

पीएमएलए के तहत की गई जांच के दौरान, पीएमएलए की धारा 16 के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर बैंक की सुम्बल एवं गमुद गडखुद शाखाओं में सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण में सामने आया कि पीएमईजीपी योजना से संबंधित इन दोनों शाखाओं के 270 सावधि ऋण खाते तथा 270 कार्यशील पूंजी खाते गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) में परिवर्तित हो चुके थे। इन खातों में एनपीए की राशि लगभग 32 करोड़ रुपये पाई गई।

अनुसूचित अपराधों से अर्जित संदिग्ध अपराध के आगम को अनेक लेन-देन के माध्यम से विभिन्न बैंक खातों में अंतरित किया गया तथा इसके एक हिस्से का उपयोग संपत्तियों के निर्माण/नवीनीकरण और व्यक्तिगत लाभ अर्जित करने में किया गया।

पीएमएलए के तहत अब तक की गई जांच से पता चला है कि हिलाल अहमद वानी एवं अन्य ने धोखाधड़ी से पीएमईजीपी ऋण प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाई। इसके लिए पीएमईजीपी के ऋण लेने वाले व्यक्तियों को ऋण प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया गया। इन ऋणकर्ताओं के केवाईसी दस्तावेजों एवं अन्य दस्तावेजों का उपयोग करते हुए तथा आपूर्तिकर्ताओं-सह-दलालों अथवा

उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर पंजीकृत अस्तित्वहीन फर्मों के फर्जी बिलों(बीजकों) के माध्यम से जम्मू-कश्मीर बैंक के अधिकारियों के साथ आपराधिक षड्यंत्र करके पीएमईजीपी ऋण स्वीकृत कराए गए। अब तक की गई जांच में 11.37 करोड़ रुपये के अपराध के आगम के सृजन का पता लगाया गया है। अपराध के इन आगमों को अनेक बैंक खातों के माध्यम से अंतरित किया गया तथा इनके एक हिस्से का उपयोग उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर धारित संपत्तियों के निर्माण/नवीनीकरण में किया गया। अपराध के आगम का बड़ा हिस्सा निकाल लिया गया है, जिससे आरोपियों की अपराध के आगम के अंतरण, छिपाने, कब्जे में रखने तथा उपयोग करने में संलिप्तता स्थापित होती है। अतः अपराध के आगम के मूल्य को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से पीएमएलए की धारा 5(1) के तहत आपूर्तिकर्ताओं-सह-ऋणकर्ताओं/दलालों तथा एक बैंक अधिकारी के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन चिह्नित 11 संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया गया है।

मामले में आगे की जांच जारी है।